




भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार
कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) एन.सी.आर. दिल्ली - 201002
PHARMACOPOEIA COMMISSION FOR INDIAN MEDICINE & HOMOEOPATHY
Ministry of AYUSH, Govt. of India
Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad (U.P.), NCR Delhi - 201002



Tel: (+91)120- 2787014
2787016

Email: dir.pcimh-ayush@gov.in
Website: www.pcimh.gov.in

F. No. PCIM&H/E.12028/2020-21/ 1217

Dated: 24.12.2021

कार्यालय आदेश

आगामी यूपी चुनाव को देखते हुए सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना स्टेशन न छोड़ें। इसके अलावा, कुछ कर्मचारी इतने अनौपचारिक हैं कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना वे अर्जित अवकाश पर चले जाते हैं। सभी को इस तरह के अभ्यास से बचना चाहिए और सभी को सीसीएस (छुट्टी) नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर सीसीएस आचरण नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी।


यूपी राज्य चुनाव के मद्देनजर यदि कोई भी भले ही वह किसी भी वास्तविक कारण से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो भी उन्हें चुनाव संबंधी किसी भी ड्यूटी में उपस्थित होना होगा (यदि उन्हें संबंधित प्राधिकारी द्वारा बुलाया गया) और यह संबंधित व्यक्तिगत की जिम्मेदारी है कि वह सभी चुनाव संबंधी ड्यूटी में उपस्थित रहें।

यह मुद्दा प्रभारी निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

In view of upcoming UP elections, all the officers/staff hereby directed to don't leave the station without approval of the competent authority. Further, some of the staff are so casual that without competent authority approval they are proceeding on E.L. such type of practices must be avoided and everyone is directed to strictly follow CCS (Leave) Rules failing which appropriate action will be initiated as per CCS Conduct Rules.

In view of the UP State elections if anyone want to avail leave for any genuine reason even then they have to attend any election related duty (if they were called by the concerned authority) and it is the concern personal responsibility to attend all election related duties.

This issue with the approval of Director I/c


(जी. वी. आर. जोसफ)
प्रभारी संयुक्त निदेशक

सेवा में,

सभी अधिकारी/ कर्मचारी

प्रतिलिपि:

1. प्रभारी निदेशक, पी.सी.आई.एम. एंड एच. गाजियाबाद
2. सूचना पट्ट

नोट: इस हिंदी के पत्र में कोई विसंगति प्रतीत होती है, तो अंग्रेजीभाषा में दी गई जानकारी को अंतिम एवं मान्य माना जाएगा।